परिशिष्ट - 1
[21/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2584]

परिशिष्ट (1)

कार्यालय कलेक्टर, जिला नीमच, (म.प्र)

क्रमांक 683/मंत्रीगण/2024 नीमच, दिनांक- 09/12/2024

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला बालविकास नीमच
जिला -नीमच

विषयः- फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियमों के विरूद्ध आंगनवाडी कार्यकर्ता की नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भः- माननीय दिलीपसिंह परिहार विधायक महोदय का पत्र क्र. 317/2024-25 नीमच दिनांक 07.10.2024

--0--

एतदत द्वारा सुचित किया जाता है कि परियोजना अधिकारी नीमच ग्रामीण के आदेश कमांक 456/म.बा.वि.परि./आ.स्था/2024-25 नीमच दिनांक 11/09/2024 श्रीमति गीताबाई पति मुन्नालाल को जमुनियाखुर्द ग्राम में आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में चयनित किया गया है।उक्त नियुक्ति पूर्णतः नियमों के विरूद्ध की गई है। नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पूर्व में सहायिका की नियुक्ति में अपनी उम्र के दस्तावेज आधार कार्ड एवं अंकसूची तथा वर्तमान में आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में दिये गये दस्तावेजो में पूर्णता भिन्नता है।

उक्त के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीमच से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ प्राप्त प्रतिवेदन नियुक्ति त्रुटिपूर्ण जन्मतिथी के आधार पर सेवा से पदोन्नति निरस्ती हेतु प्रस्तावित की गई है। अतः श्रीमति गीताबाई की पदोन्नति निरस्ती की कार्यवाही कर तथा त्रुटिपूर्ण आधारों पर पदोन्नति प्राप्त करने के आधार पर पद से पृथक करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

9/12/24

कलेक्टर,
जिला नीमच म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

10/12/24

2025.03.04 10:49

परिशिष्ट-02

कार्यालय—महिला एवं बाल विकास परियोजना नीमच ग्रामीण, जिला—नीमच म0प्र0

कार्यालय—महिला एवं बाल विकास परियोजना नीमच ग्रामीण, जिला—नीमच म0प्र0

क्रमांक/896/म.बा.वि.परि./आं.स्था./2024—25 नीमच, दिनांक 26.12.2024

—:: आदेश ::—

श्रीमती गीताबाई पति मुन्नालाल, आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी केन्द्र जमुनिया खुर्द को कार्या0 आदेश कमांक/456/मबावि/स्था./2024—25 नीमच, दिनांक 11.09.2024 द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर आंगनवाड़ी केन्द्र जमुनिया खुर्द मे पदौन्नत किया गया था।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, म.बा.वि. जिला नीमच के पत्र कं./7421/मबावि/स्था./2024 नीमच, दिनांक 29.11.2024 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्या0 आदेश कं./814/मबावि परि./स्था./2024 नीमच, दिनांक 04.12.2024 द्वारा श्रीमती गीताबाई की पदोन्नति के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं पदोन्नती के समय प्रस्तुत अंकसूची तथा अन्य अभिलेखो की जॉच की कार्यवाही पूर्ण होने/निराकरण होने तक पदोन्नति निरस्त करते हुए सहायिका के पद पर यथावत किया गया था।

पदोन्नति के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं पदोन्नति के समय प्रस्तुत अंकसूची तथा अन्य अभिलेखो की जांच वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की गयी। जॉच में पाया गया कि, कक्षा 5वी की अंकसूची में दर्ज जन्म दिनांक 05.10.1972 के अनुसार श्रीमती गीताबाई द्वारा वर्ष 1985 में 13 वर्ष की आयु में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की गयी। जबकि कक्षा 10वी की अंकसूची में दर्ज जन्म दिनांक 05.10.1979 के अनुसार वर्ष 1985 में 06 वर्ष की आयु में कक्षा 5वी उत्तीर्ण की गयी। नियमानुसार 06 वर्ष की आयु में कक्षा 5वी उत्तीर्ण किया जाना संभव नहीं है।

कलेक्टर महोदय, जिला नीमच के पत्र कमांक 683/मंत्रीगण/2024 नीमच, दिनांक 09.12.2024 एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, म.बा.वि. जिला नीमच के पत्र कमांक 7553/मबावि/आ.स्था./2024—25 नीमच, दिनांक 10.12.2024 द्वारा श्रीमती गीताबाई की पदोन्नति निरस्त करने एवं त्रुटिपूर्ण आधारों पर पदोन्नति प्राप्त करने के आधार पर पद से पृथक करने की कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए।

इस अनुकम में कार्यालयीन पत्र कमांक/843/मबावि परि./आ.स्था./2024—25 नीमच, दिनांक 16.12.2024 द्वारा श्रीमती गीताबाई पति मुन्नालाल को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। श्रीमती गीताबाई द्वारा प्रस्तुत सूचना पत्र का प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः श्रीमती गीताबाई द्वारा इस कार्यालय को गुमराह करने, त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने तथा त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों को मान्य करने हेतु 50/—रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर प्रस्तुत शपथपत्र में असत्य कथन करने के आधार पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका भर्ती नियम म.प्र शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक/एफ 3—2/06/50—2 भोपाल, दिनांक 10.07.2007 की कण्डिका द(1) एवं 1032/1466/2018/50—2 भोपाल, दिनांक 11.05.2018 की कण्डिका (ब) में दिए गए निर्देशानुसार श्रीमती गीताबाई पति मुन्नालाल, आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी केन्द्र जमुनिया खुर्द की पदोन्नति पूर्णतः निरस्त करते हुए, आंगनवाड़ी सहायिका के पद की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है एवं आंगनवाडी केन्द्र जमुनिया खुर्द में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका का पद रिक्त घोषित किया जाता हैं।

(अनुविभागीय अधिकारी महो. द्वारा अनुमोदित)

परियोजना अधिकारी,
म.बा.वि.परि. नीमच ग्रामीण,
जिला—नीमच म0प्र0

पृ.क./899/म.बा.वि.परि./आं.स्था/2024—25 नीमच, दिनांक 26.12.2024

प्रतिलिपिः—

1. कलेक्टर महोदय, जिला नीमच की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नीमच, जिला नीमच की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, म.बा.वि. जिला नीमच की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड नीमच, जिला नीमच की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती गिरिजा शर्मा, पर्यवेक्षक सेक्टर रेवली—देवली की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित को तामिली हेतु।
6. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, जमुनिया खुर्द, जिला नीमच की ओर सूचनार्थ।
7. श्रीमती गीताबाई पति मुन्नालाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

परियोजना अधिकारी,
म.बा.वि.परि. नीमच ग्रामीण,
जिला—नीमच म0प्र0

O/C
30-12-24

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल